

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

(X)
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा :-

(X) वित्त विभाग।

पटना-15, दिनांक-...../03/2015

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, माँग संख्या-19 के अन्तर्गत विपत्र कोड-N2406010030001 एवं विपत्र कोड-N2406011010002 के विषय शीर्ष-मजदूरी में से क्रमशः ₹ 75,000/- एवं ₹ 3,00,000/- प्रत्यर्पित कर विपत्र कोड-N2406010010001 के विषय शीर्ष-0601 चिकित्सा प्रतिपूति में कुल ₹ 3,75,000/- (तीन लाख पचहत्तर हजार ₹ मात्र) के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न अनुसूची-53 के अनुरूप मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्यशीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-003-शिक्षा तथा प्रशिक्षण, माँग संख्या-19 उपशीर्ष-0001-प्रशिक्षण जनसम्पर्क एवं शोध हेतु, विपत्र कोड-N2406010030001 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी से ₹ 75,000/- एवं मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्यशीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण, माँग संख्या-19 उपशीर्ष-0002-वर्किंग प्लान प्रमंडल विपत्र कोड- N2406011010002 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी से ₹ 3,00,000/- प्रत्यर्पित कर मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्यशीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, माँग संख्या-19 उपशीर्ष-0001-निदेशन और प्रशासन, विपत्र कोड-N2406010010001 के विषय शीर्ष-0601 चिकित्सा प्रतिपूति के अन्तर्गत कुल ₹ 3,75,000/- (तीन लाख पचहत्तर हजार ₹ मात्र) के पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पुनर्विनियोग के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-47/2015 2823 /प०व० पटना-15, दिनांक-...../09/2015

प्रतिलिपि :- साअनुलग्नक प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

अनुदान
अनुदान / विनियोग

(राशि रुपये में)

वृहत शीर्षक-2406 वानिकी और वन्य जीवन						शीर्षक जिससे अर्थीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।					
						शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
विनियोग की प्राथमिक इकाईयां।						विनियोग की प्राथमिक इकाईयां।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मुख्य शीर्षक-2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी उप-मुख्य शीर्षक-01 वानिकी लघु शीर्षक-001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या-19 उपशीर्षक-0001 निदेशन और प्रशासन विपत्र कोड-एन 2406010010001	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अंतर्गत संभावित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	मुख्य शीर्षक - 2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी उप-मुख्य शीर्षक-01 वानिकी लघु शीर्षक - 003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण मांग संख्या-19 उपशीर्षक- 0001 प्रशिक्षण, जनसम्पर्क एवं शोध हेतु विपत्र कोड- एन 2406019030001	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अंतर्गत संभावित खर्च।	प्रत्यर्पित राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200000	200000	575000	375000	575000	02 01 मजदूरी	300000	300000	225000	75000	225000
कुल	200000	200000	575000	375000	575000	कुल योग	1200000	1200000	900000	300000	900000

टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जायें, जिनसे इकाई संबंधित हो।
(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 से आंकड़े पीठ पर स्पष्ट किए जाय।
(ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।
(घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।
(ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा विवरण पीठ पर दिया जाए।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

अतिरिक्त / अनुदान

के लिए आवेदन-पत्र।

ज्ञाप सं० यो.क्र. - 47/15 - 2586

दिनांक- 31/08/2015


2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी (गैर योजना मद) 01 वानिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन, 0001 निदेशन और प्रशासन विपत्र कोड सं० एन 2406010010001 के विषय शीर्ष 06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रसंग में / के क्रम में अतिरिक्त अनुदान तथा बजट उपशीर्ष 2406 वानिकी और वन्यप्राणी (गैर योजना मद) 01 वानिकी, 003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0001 प्रशिक्षण, जनसम्पर्क एवं शोध हेतु, विपत्र कोड- एन 2406010030001 के विषय शीर्ष 02 01 मजदूरी एवं 2406 वानिकी और वन्य प्राणी, 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उपशीर्ष-0002 वर्किंग प्लान प्रमंडल विपत्र कोड-एन 2406011010002 के विषय शीर्ष-02 01 मजदूरी में आवश्यकता से अधिक राशि रहने के कारण प्रत्यापन के प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए सरकार के आय-व्ययक पदाधिकारी सह उप सचिव वित्त विभाग को उपस्थापित।

2 अतिरिक्त अनुदान / प्रस्तावित पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण-विषय शीर्ष 06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि की मांग पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपलब्ध विपत्र के भुगतान हेतु है।

व्ययन/ निकासी पदाधिकारी का पदनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार / सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक

अतिरिक्त / अनुदान / पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो।

यथा उपर्युक्त


प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अंतर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

बि० सं० यू० (वित्त) 141 -मो० जे०-5000-9-4-1987-